रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1224] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2009/श्रावण 16, 1931
No. 1224] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2009/SRAVANA 16, 1931

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2009

का.आ. 2065(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण भारत के असाधारण राजपत्र में सं. का.आ. 1903(अ), दिनांक 31-7-2008 द्वारा अधिसूचित विनियम अर्थात् एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र विनियम, 2008 में केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन :

(i) उक्त अधिसूचना के पृष्ठ 1 पर शब्द ''उपविधि'' के स्थान पर शब्द ''विनियम'' रखा जाता है और संशोधित शीर्षक को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

''एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र हेतु विनियम''

(ii) उक्त अधिसूचना के पृष्ठ 5 पर पैरा 05 (जी)—में चौथी पंक्ति में अंग्रेजी में लिखे सेंटर शब्द के शुरू के छोटे अक्षर 'सी' को बड़े अक्षर 'सी' के रूप में पढ़ा जाएगा ।

(iii) उक्त अधिसूचना के पैरा 5 (छ) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :

''ऐसी परियोजनाओं के लिए दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति की ओर से किसी संदर्भ/अनापत्ति की अब आगे आवश्यकता नहीं होगी ।''

अतः संशोधन के बाद पैरा 5(छ) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा ।

''दिल्ली में सड़क इंजीनियरिंग/आधारिक संरचना की बाधाओं वाली किसी भी एजेंसी द्वारा सभी परिवहन परियोजनाओं/परिवहन इंजीनियरिंग समाधान के लिए केन्द्र की अनुमति आवश्यक होगी । इससे यह सुनिश्चित होगा कि नवीनतम टैक्नोलॉजी और अनुसंधान निष्कर्ष सभी नई सड़कों पर लागू हो रहे हैं । ऐसी परियोजनाओं के लिए दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति की ओर से किसी संदर्भ/अनापत्ति की अब आगे आवश्यकता नहीं होगी ।''

(iv) उक्त अधिसूचना के पृष्ठ 3 पर पैरा 20 अर्थात् ''निरसन और बचाव'' को हटाया जाता है ।

[फा. सं. एफ. 5(44)2007/एम.पी.)

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2009

S.O. 2065(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby makes the following modifications in the regulations with the approval of Central Government namely : UNIFIED TRAFFIC AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE REGULATIONS, 2008 notified in the Gazette of India, Extraordinary *vide* No. S.O. 1903(E), dated 31-7-2008.

MODIFICATIONS :

(i) On page 4 of the said notification the word 'Bye-Laws' is replaced by the word 'Regulation', and the modified title shall read as under :

"Regulation for Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre"

(ii) On page 5 of the said notification in para 05(g)—in 4, the word 'centre' shall be read as 'Centre'

(iii) In the end of para 5(g) of the said notification, following is to be added :

"For such projects any reference to/clearance from DDA Technical Committee will no longer be required."

As such after modification the para 5(g) will read as under :

"All transportation projects/transportation Engineering solutions in Delhi by any agency having road Engineering/Infrastructure implication would require clearance of the Centre. This would ensure that latest technology and research finding support is available to all new roads and projects. For such projects any reference to/clearance from DDA Technical Committee will no longer be required."

(iv) On page 6 of the said notification para 20 i.e. 'Repeal and Saving' is deleted.

[F. No. F. 5(44)2007/MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.